राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–एन.एच.एम./प024/2015/740 दिनांक – / /12/2015

–: संशोधित आदेश :–

निदेशालय के आदेश क्रमांक एन.एच.एम./प024/2015/675 दिनांक 30.10.2015 के कम संख्या 02 पर एवं आदेश कमांक 674 दिनांक 03.11.2015 के कम संख्या 01 पर अंकित चिकित्सकों के आदेशों में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	कहाँ से	कहाँ को
1	डॉ0 लीना डेविड सेन		शहरी प्रा0स्वा0के0 के0के0 कालोनी, बासनी, जोधपुर	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शोभावतों की ढाणी, जोधपुर।
2	डॉ0 कुशाल सिंह गहलोत	28.09.1948	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसूरिया, जोधपुर।

नियुक्ति आदेश की शर्ते यथावत रहेगी तथा दिनांक 18.12.2015 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–एन.एच.एम./प024/2015/ दिनांक – / /12/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1) विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।
3) निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एन.एच.एम. चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।
4) निजि सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एन.एच.एम. चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।
5) संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान, जयपुर।
6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
7) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि **अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री, आर.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्रों की भी जांच करें।**
8) संबंधित चिकित्सक को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ।
9) प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर ***आज ही*** अपलोड करने का श्रम करें।
10) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।